Rs.5 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

439

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१६ निगरानी निग-1695-I-16

वचन सिंह पुत्र हरविलास, निवासी ग्राम-माली वाजना, तहसील- कैलारस, जिला-मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

श्री ... द्वारा आज दि. 1-6-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

------- प्रार्थी

विरुध्द

१- मरासी पुत्र विरसू,

२- धारा सिंह पुत्र मरासी,

निवासीगण- ग्राम- माली वाजना, तहसील-कैलारस, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

------ प्रतिप्रार्थीग०

निगरानी विरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय कैलारस जिला मुरैना दिनांक ३०-४-१६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १६५६ । प्र०क्र० ५७/१४-१५ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने न्यायालय में प्रस्तुत अपील को समयावधि में माने जाने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल हुई है।

४- यह कि, लगभग ८ वर्ष पश्चात की गई अपील में विलम्ब का पर्याप्त कारण समाधान कारक होना न तो प्रमाणित है और न ही समुचित कारण बताया गया है, ऐसी स्थिति में मात्र अनुमान के आधार पर विलम्ब क्षमा किया जाना न्यायोचित नहीं है ।

क्रमशः---२

439

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1695-एक/16 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। पेशी दिनांक प्रशासकीय सदस्य	